

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

सेडूराम माली बनाम् श्रीमती भौरी देवी वगैरा
एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या—1154 / 2019

आदेश दिनांक

18.12.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री रमेश कुमावत, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

प्रत्यर्चीगण को दिनांक 27.01.2020 की वापसी के अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

इस दौरान प्रत्यर्चीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति किसी अन्य को बेचान/ स्थानान्तरित नहीं करने एवं किसी तृतीय पक्ष के हित सृजित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

यह आदेश प्रत्यर्चीगण पर नोटिस की तामील के बाद प्रभावी होगा।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-29

सत्यमेव जयते